



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262519
CG-DL-E-17042025-262519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1741]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 1741]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

(आयकर)

का.आ. 1774(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8 ख के उप-नियम (3) और उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विवरणों वाले बंधपत्र (बॉन्ड) को शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात: -

- | | | |
|-----|---|--|
| (क) | बंधपत्र का नाम | - आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
का दस वर्षीय शून्य कूपन बंधपत्र। |
| (ख) | बंधपत्र की परिपक्वता अवधि | - दस वर्ष एक माह |
| (ग) | बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी | - 31 मार्च, 2027 को या उससे पहले जारी किया जाएगा। |
| (घ) | बंधपत्र की परिपक्वतर या मोचन पर
भुगतान की जाने वाली राशि | - 5,000 करोड़ रुपये |

- (ङ) छूट - 2,351.49 करोड़ रुपये
(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - पांच लाख

2. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड ऐसे बंधपत्रों से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए करेगा, जो ऋणों की अदायगी के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हुए बिना परियोजना राजस्व से ऋण की अदायगी कर सकें।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

- (क) 'अवसंरचना' में सभी अवसंरचना उप-क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 262 द्वारा परिभाषित किया गया है; जो कि फा.सं.13/1/2017-आईएनएफ दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 (अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन की गई सुसंगत मुख्य सूची) द्वारा जारी किया गया है और इसमें उनमें किए गए कोई भी संशोधन या परिवर्धन शामिल होंगे;
- (ख) 'अवसंरचना परियोजना' से तात्पर्य अवसंरचना क्षेत्र में किसी भी परियोजना से है।

[अधिसूचना सं. 34 /2025/फा. सं. 300164/2/2024-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th April, 2025
(INCOME TAX)

S.O. 1774(E).— In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely :-

- (a) name of the bond - Ten Year Zero Coupon Bond of Housing and Urban Development Corporation Ltd.
(b) period of life of the bond - Ten years one month
(c) the time schedule of the issue - To be issued on or before the 31st day of of the bond March 2027
(d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond - Rs. 5,000 crores
(e) the discount - Rs. 2,351.49 crores
(f) the number of bonds to be issued - Five lakhs

2. Housing and Urban Development Corporation Ltd. shall utilise the proceeds from such bonds only for those infrastructure projects which can service the debt out of the project revenues without being dependent on the State Governments for the service of debts.

Explanation: For the purpose of this notification,

- (a) 'Infrastructure' includes all infrastructure sub-sectors as defined vide notification no. 262 of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance issued by F.No.13/1/2017-INF dated October 11, 2022 (Updated Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors) and shall include any amendments or additions made thereof;
- (b) 'Infrastructure project' means any project in Infrastructure sector.

[Notification No. 34 /2025/F. No. 300164/2/2024-ITA-1]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.